न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **82/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सज्जन पिता कन्हैयालाल सोडानी निवासी बीगोर त0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		**—प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक 20/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 01.09.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 676366 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.07.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01/09/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट उपस्थित तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रत्युत्तर अपने पत्रांक 138 दिनांक 08.09.2017 के साथ अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये डाक प्रेषित किए जाने का पत्र संलग्न किया है। वांछित सूचना जरिये डाक अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जाना वक्त सुनवाई निवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा भी सूचना प्राप्त होना वक्त सुनवाई निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। स्वयं अपीलान्ट ने सूचना मिलना वक्त सुनवाई स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा